

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 1318 – 1319 / 2024

विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 10362 - 10363/2017 से उत्पन्न।

यागवती उर्फ पूनम

अपीलांत

बनाम

घनश्याम

प्रतिवादी (गण)

हेडनोट्स

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 - धारा 18 - भरण पोषण - वृद्धि - तीन बच्चों वाले पक्ष अलग-अलग रह रहे थे। इसी बीच अपीलकर्ता ने धारा - 18 व 20 के तहत भरण पोषण की मांग की - पारिवारिक न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया था - प्रदत्त भरण पोषण उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया था - वर्तमान में प्रतिवादी बीएसएनल से केवल पेंशन प्राप्त कर रहा है, अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि भरण पोषण ₹10,000 की जगह ₹20,000 होगा तथा बकाया राशि के समान किस्तों में भुगतान के निर्देश जारी किए।

आदेश

सतीश चंद्र शर्मा, न्यायाधिपति।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील दिनांक 11.11.2016 के एक सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत राजस्थान उच्च न्यायालय ('उच्च न्यायालय') ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ('अधिनियम') की धारा 18 के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय, जयपुर द्वारा अपीलकर्ता को दिए गए भरण-पोषण के आदेश को 3,000/- (तीन हजार रुपये) प्रतिमाह से बढ़ाकर (i) उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करने की तिथि अर्थात् 16.05.2009 से 31.12.2005 तक 6,000/- (छह हजार रुपये) कर दिया है; तथा (ii) 01.01.2006 से आगे 10,000/- (दस हजार रुपये) ('आक्षेपित आदेश') प्रतिमाह कर दिया है।

3. अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण भत्ते में इस आधार पर वृद्धि की मांग की है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया भरण-पोषण भत्ता अपर्याप्त है और प्रतिवादी की वास्तविक वित्तीय क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

4. अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह दिनांक 27.04.1982 को संपन्न हुआ, उसके बाद विवाह से 3 (तीन) बच्चे पैदा हुए, यानि कि (i) अभिषेक; (ii) आशीष; और (iii) निक्की। 1998 के बाद में, विवाह में जटिलताएँ आईं, जिसके कारण दोनों पक्ष अलग-अलग रहने लगे। प्रासंगिक रूप से, प्रतिवादी ने अपने 2 (दो) वयस्क बच्चों, यानि कि (i) अभिषेक; और (ii) आशीष के साथ रहना चुना। तदनुसार, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता और निक्की यानी नाबालिग को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रतिवादी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ("एचएमए") की धारा 13 के तहत एक आवेदन दोनों पक्षों के बीच विवाह को भंग करने की मांग करते हुये दायर किया गया। दिनांक 31.05.2005 के आदेश के द्वारा, प्रतिवादी के पक्ष में एकपक्षीय निर्णय पारित हुआ। इसके बाद, प्रतिवादी ने 20.07.2007 को दूसरी महिला से विवाह कर लिया।

6. इस बीच, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 18 और धारा 20 के तहत भरण-पोषण की मांग करते हुए पारिवारिक न्यायालय, जयपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 15.04.2009 के आदेश के द्वारा, पारिवारिक न्यायालय, जयपुर ने अपीलकर्ता आवेदन को स्वीकार कर लिया, और तदनुसार निम्नानुसार भरण-पोषण प्रदान किया:

(i) अपीलकर्ता: 15.04.2009 से 3,000/- (तीन हजार रुपये) प्रति माह;

(ii) निक्की: 15.04.2009 से निक्की के वयस्क होने तक 5,000/- (पांच हजार रुपये) प्रति माह; और

(iii) मुकदमेबाजी लागत: रु.2,000/- (दो हजार रुपये)

(इसके बाद "अंतर्निहित आदेश" के रूप में संदर्भित)

7. इसके बाद, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") के आदेश 9 नियम 13 के तहत अपीलकर्ता द्वारा एक आवेदन पेश किया गया। दिनांक 09.09.2011 के एक आदेश के द्वारा, उपरोक्त आवेदन में, प्रतिवादी के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाने वाला एकपक्षीय आदेश अपास्त हो गया; और तदनुसार, प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए एचएमए की धारा 13 के तहत आवेदन को बहाल कर दिया गया।

8. पक्षों ने पारिवारिक न्यायालय, जयपुर के अंतर्निहित आदेश के खिलाफ क्रॉस-अपील पेश की, जिसका निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के तहत किया गया। वर्तमान अपील में, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय का ध्यान उस पर्याप्त वेतन की ओर आकर्षित किया है जो कि प्रतिवादी बीएसएनएल से ले रहा था, जबकि आक्षेपित आदेश के तहत भरण-पोषण के अपने दायित्वों के संबंध में वह टालमटोल कर रहा था।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी के वेतन में काफी वृद्धि हुई है। इस संबंध में उन्होंने बीएसएनएल के समक्ष दायर सूचना के अधिकार ("आरटीआई") के आवेदन पर भरोसा किया है, जिसके तहत यह पता चला है कि प्रतिवादी पिछली बार बीएसएनएल में सहायक प्रबंधक के रूप में सेवा करते हुए 1,05,871/- (एक लाख पांच हजार आठ सौ इकहत्तर रुपये) प्रति माह का अच्छा वेतन ले रहा था। तदनुसार, यह प्रार्थना की जाती है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण को और बढ़ाया जाना चाहिए। प्रासंगिक रूप से, यह भी इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि अपीलकर्ता को भरण-पोषण का बकाया भुगतान उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि से 1 (एक) वर्ष के भीतर अर्थात् 11.11.2017 को या उससे पहले भरण-पोषण का बकाया चुकाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद नहीं किया गया है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है और तदनुसार, अब उसे उपर्युक्त वेतन नहीं मिलता है। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी केवल बीएसएनएल से पेंशन ले रहा है; और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

11. पक्षों की स्थिति और वर्तमान अपील (अपीलो) के आसपास की परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को इस आदेश की तिथि से प्रति माह 20,000/- (बीस हजार रुपये) भरण-पोषण के रूप में देने होंगे।

12. तदनुसार हम अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हैं तथा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत देय मासिक भरण-पोषण राशि को इस आदेश की घोषणा की तिथि से प्रति माह 10,000/- (दस हजार रुपये) रुपये से बढ़ाकर 20,000/- (बीस हजार रुपये) रुपये करते हैं। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता को देय भरण-पोषण के संबंध में देय बकाया राशि, हमारे द्वारा ऊपर निर्धारित नियमित भरण-पोषण राशि के अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा समान किस्तों में देय होगी।

13. परिणामस्वरूप, हमारे उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में, पारिवारिक न्यायालय, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि:

(i) अपीलकर्ता को आक्षेपित आदेश के अनुसार देय कुल बकाया राशि की मात्रा निर्धारित करें;

(ii) प्रतिवादी द्वारा भरण-पोषण के बकाया के लिए किए जाने वाले मासिक भुगतान की अवधि और मात्रा को ऊपर मद संख्या 13(i) के अनुसार इस तरह से निर्धारित करें कि कुल राशि यानी (क) 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये) तक का नियमित भरण-पोषण; और (ख) भरण-पोषण के बकाया के उन्मूलन के लिए निर्धारित राशि प्रतिवादी द्वारा बीएसएनएल से प्राप्त पेंशन के 50% से अधिक न हो;

(iii) बीएसएनएल को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक निर्देश जारी करें कि कुल राशि यानी (क) 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये) तक का नियमित भरण-पोषण; और (ख) अतिरिक्त मासिक भुगतान, जैसा कि ऊपर 13(ii) में विशेष रूप से बताया गया है, प्रत्येक कैलेंडर माह की निर्धारित तिथि को अपीलकर्ता के बैंक खाते में जमा किया जाता है; और

(iv) इस आदेश की एक प्रति बीएसएनएल को आवश्यक अनुपालन और आगे की कार्रवाई (यदि कोई हो) के लिए भी भेजी जा सकती है।

14. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त परिमाणीकरण प्रक्रिया प्रतिवादी को इस आदेश की घोषणा की तिथि से प्रति माह 20,000/- (बीस हजार रुपये) की सीमा तक अपीलकर्ता को नियमित रखरखाव का भुगतान करने के हमारे निर्देश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

..... जे.

(विक्रम नाथ)

..... जे.

(सतीश चंद्र शर्मा)

नई दिल्ली

जनवरी 29, 2024